

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 13 / 2016 मु.फौ.

संस्थापन दिनांक : 11.03.2016

1. श्रीमती रिन्की उर्फ शैली पत्नि देवेन्द्र पुत्री अरविन्द पारासर, आयु-21 वर्ष, जाति ब्राह्मण, धंधा ग्रहकार्य, निवासी हाल पाठकपुरा, थाना चित्रहाट, तहसील-बाह, जिला-आगरा, उ0प्र0
2. प्रशान्त शर्मा पुत्र देवेन्द्र शर्मा, आयु-डेढ वर्ष, जाति-ब्राह्मण, नाबालिग सरपरस्त मॉ खुद श्रीमती रिन्की उर्फ शैली पत्नि देवेन्द्र मॉ खुद, निवासी-ग्राम खुमानपुरा, हाल पाठकपुरा, थाना-चित्रहाट, तहसील बाह, जिला-आगरा, उ0प्र0

— आवेदकगण

बनाम

देवेन्द्र शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा, आयु-22 वर्ष, जाति-ब्राह्मण, धंधा सिकोटी गार्ड, निवासी-खुमान का पुरा, मजरा गुरीखा, थाना मालनपुर, परगना गोहद, जिला भिण्ड, म0प्र0

— अनावेदक

(आवेदन अंतर्गत धारा 125 द.प्र.स.)

(आवेदिका द्वारा अधिवक्ता श्री दिनेश गुर्जर)

(अनावेदक-श्री अशोक पचौरी)

आदेश

(आज दिनांक 31-01-2018 को पारित)

1. इस आदेश द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 125 द0प्र0सं0 का निराकरण किया जा रहा है।
2. संक्षेप में आवेदन इस प्रकार है कि, आवेदिका क01 अनावेदक की पत्नि एवं आवेदक क्रमांक 2 अनावेदक का पुत्र है। आवेदिका क्रमांक 1 की शादी दिनांक 20.11.

13 को अनावेदक के साथ हिन्दू रीतिरिवाज से संपन्न हुई थी तथा शादी में आवेदिका क्रमांक 1 के पिता ने अनावेदक को देढ़ लाख रुपये नगद, पाँच तोले सोने के आभूषण, 250 ग्राम चाँदी के आभूषण, घर ग्रहस्थी का पूरा सामान, कुल तीन लाख साठ हजार रुपये दहेज में दिये थे जो अनावेदक एवं उसके परिवारजन ने अपने कब्जे में कर लिये हैं। अनावेदक एवं उसके परिवारजन उक्त दहेज से संतुष्ट नहीं हुये थे एवं आवेदिका से पचास हजार रुपये नगद तथा मोटरसाइकल दहेज में लाने के लिये कहते थे एवं ना लाने पर आवेदिका की मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते थे। अनावेदक के बड़े भाई मुकेश की शादी नहीं हुयी है, इसलिये अनावेदक एवं उसके परिवारजन आवेदिका की छोटी बहन रुचि की शादी मुकेश से करने के लिये आवेदिका पर दबाव डालने लगे थे। आवेदिका रिन्की के मना किये जाने पर उसकी मारपीट की जाती थी। आवेदिका रिन्की को गर्भावस्था में भी प्रताड़ित किया गया था एवं दहेज के लिये दबाव डालना प्रारंभ कर दिया गया था। आवेदिका के माता पिता ने अनावेदक एवं उसके परिवारजन को समझाने का प्रयास किया था, परंतु अनावेदक एवं उसके परिवारजन नहीं माने थे तथा अनावेदक एवं उसके परिवारजन आवेदिका की छोटी बहन रुचि की शादी मुकेश के साथ करने के लिये कहते थे तथा पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकल देने के लिये कहते थे। आवेदिका ने दिनांक 29.08.14 को सरकारी अस्पताल मालनपुर में आवेदक क्रमांक 2 प्रशांत को जन्म दिया था। अनावेदक के परिवारजन ने आवेदिका की कोई देखभाल नहीं की थी। बच्चे के जन्म के बाद आवेदिका के मातापिता ने इक्कीस हजार रुपये नगद तथा मिठाई एवं कीमती कपड़े भेजे थे जो कि अनावेदक के पास हैं। दिनांक 20.12.14 को अनावेदक एवं उसके परिवारजन ने आवेदिका क्रमांक 1 का स्त्री धन रखकर दोनों आवेदकगण को घर से निकाल दिया था। तभी से आवेदकगण ग्राम पाठकपुरा में रह रहे हैं तथा आवेदिका रिन्की अपने माता पिता के घर रहकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। आवेदकगण के पास आय का कोई साधन नहीं है जबकि अनावेदकगण के पास उनकी माँ के नाम से कृषि भूमि है जिसमें लगभग देढ़ लाख रुपये की आय होती है। अनावेदक औद्योगिक क्षेत्र में निवास कर गार्ड की नौकरी करता है एवं बारह हजार रुपये प्रतिमाह कमाता है। अनावेदक लगभग 22 वर्षिय हष्ट पुष्ट कमाने वाला व्यक्ति है जो अपनी पत्नि एवं बच्चों का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी रखता है। आवेदकगण के पास आय का कोई साधन नहीं है। अनावेदक ने अनुचित तरीके से आवेदकगण का त्याग कर दिया है। अतः आवेदकगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर आवेदकगण को अनावेदकगण से छः हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि दिलायी जावे।

3. अनावेदक द्वारा आवेदन का खण्डन करते हुए उत्तर आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि उसकी एवं आवेदिका क्रमांक 1 की शादी बिना दान दहेज के हुयी थी जिसमें आवेदिका के पड़ोसी वासुदेव ने आवेदिका का कन्यादान लिया था। अनावेदक एवं उसके माता पिता ने आवेदिका से कभी भी दहेज की मांग नहीं की है और ना ही आवेदिका क्रमांक 1 से मोटरसाइकल एवं पचास हजार रुपये की मांग की गयी है। अनावेदक के बड़े भाई की शादी हो चुकी है। आवेदिका क्रमांक 1 एवं अनावेदक द्वारा माता पिता की सहमति से शादी की गयी थी। आवेदिका क्रमांक 1 आवेदक क्रमांक 2 के जन्म के पूर्व ही किसी को बताये बिना अनावेदक की सहमति के बिना स्वेच्छयापूर्वक अपने माता पिता के यहाँ चली गयी थी एवं वही पर प्रशांत का जन्म हुआ था जिसकी सूचना आवेदिका द्वारा उसके माता पिता को नहीं दी गयी थी। आवेदिका रिन्की अपने पुत्र के साथ स्वेच्छयापूर्वक अपनी मर्जी से अपने मायके में निवासरत हैं, जबकि अनावेदक, आवेदकगण को अपने साथ रखने के लिये तैयार हैं। आवेदिका जे पी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षित के पद पर कार्यरत हैं एवं तीन हजार रुपये प्रतिमाह कमाती हैं तथा ट्यूशन आदि करके तीन हजार रुपये कुल छ हजार रुपये

कमाती है। अनावेदक एवं उसके माता पिता के नाम से कोई कृषि भूमि नहीं है। अनावेदक फ़ैक्ट्री में मजदूरी कर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। जिससे वह मुश्किल से अपने माता पिता तथा अपनी पत्नि का खर्चा चला पाता है। अनावेदक के पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है। अनावेदक एवं उसके माता पिता ने कभी भी अनावेदक के बड़े भाई की शादी आवेदिका की छोटी बहन से करने का दबाव नहीं बनाया है। अनावेदक ने आवेदकगण का त्याग नहीं किया है। अनावेदक, आवेदकगण को साथ रखने के लिये तैयार है। आवेदकगण पर्याप्त कारण के बिना अनावेदक से पृथक निवासरत है। आवेदकगण द्वारा असत्य आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

4. उपरोक्त अवलोकन से इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं कि :-

1. क्या आवेदकगण पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक निवासरत हैं ?
2. क्या आवेदकगण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं ?
3. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
4. क्या अनावेदक द्वारा आवेदकगण का भरण पोषण किये जाने में उपेक्षा बरती जा रही है ?
5. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में आवेदकगण की ओर से आवेदिका रिन्की शर्मा अ.सा. 01, बिट्टी बाई अ.सा. 02 एवं अरविन्द अ.सा. 03 को परीक्षित कराया गया है जबकि अनावेदक की ओर से स्वयं अनावेदक देवेन्द्र अना.सा. 1 एवं वासुदेव अना. सा0 2 को परीक्षित कराया गया है।

// निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण //

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 //

5. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका रिन्की शर्मा अ.सा. 01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसकी शादी 20.11.13 को मालनपुर में हुयी थी। शादी में उसके माता पिता के द्वारा देढ़ लाख रुपये नगद, पाँच तोले सोने के आभूषण, 250 बजनी पायेब व घर ग्रहस्थी का सामान दिया था, इसके बाद अनावेदक एवं उसके पिता ने आवेदिका से कहा था कि अपनी छोटी बहन रुचि की शादी अनावेदक के बड़े भाई मुकेश के साथ कर दो या फिर पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकल लाओ, नहीं तो तुम्हें घर से निकाल देगे और लडके की दूसरी शादी कर देगें। फिर अनावेदक ने उसे घर से निकाल दिया था। उसके घर वाले उसे ले आये थे। दिनांक 29.08.14 को मालनपुर में उसके बच्चे प्रशांत का जन्म हुआ था। बच्चा होने के बाद उसके माता पिता ने इक्कीस हजार रुपये नगद व उसके ससुरालीजन के लिये कपडे व मिठाईयों दी थी। फिर उसके ज्येठ मुकेश, पति देवेन्द्र, सास लाली, महेश एवं आरती द्वारा उसकी मारपीट की गयी थी। उसके पिता द्वारा पच में इक्कीस हजार रुपये व सामान देने के बाद भी अनावेदकगण संतुष्ट नहीं हुये थे तथा उसे एवं उसके बच्चे को दिनांक 20.12.14 को पहने हुये कपडों में घर से निकाल दिया था। फिर वह अपने माता पिता के यहाँ ग्राम पाठकपुरा जिला आगरा चली गयी थी। इसके बाद अनावेदक व उसके परिवारजन ने उसकी कोई खबर नहीं ली थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आदेश पत्रिका दिनांक 18.05.16 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र पी 01 एवं आदेश पत्रिका दिनांक 13.05.16 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र पी 02 है।

6. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसका

कन्यादान वासुदेव ने किया था। पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह दिनांक 20.12.14 से अपने मायके ग्राम पाठकपुरा में रह रही है, तब से वह अपनी ससुराल नहीं गयी है। पद क्रमांक 5 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि देवेन्द्र ने उसे अपने साथ रखने के लिये कार्यवाही की थी। पद क्रमांक 9 में उक्त साक्षी का कहना है कि अनावेदकगण द्वारा उससे जनवरी 2013 में दहेज की मांग प्रारंभ कर दी गयी थी।

7. आवेदिका साक्षी बिट्टी बाई अ.सा. 02 एवं अरविन्द अ.सा. 3 ने भी आवेदिका रिन्की अ.सा. 1 के कथन का समर्थन किया है एवं अनावेदक द्वारा आवेदिका रिन्की से मोटरसाइकल एवं पचास हजार रुपये दहेज मांगने बाबत प्रकटीकरण किया है।
8. अनावेदक देवेन्द्र अना.सा. 01 ने आवेदिका के कथनों का खण्डन करते हुये व्यक्त किया है कि आवेदिका रिन्की उसकी पत्नि एवं आवेदक क्रमांक 2 उसका पुत्र है। रिन्की की शादी 19.11.13 में वासुदेव गुर्जर पुत्र पदम सिंह गुर्जर ने की थी तथा दान दहेज में कुछ नहीं दिया था। उसके न्यायालयीन कथन से दो साल पहले रिन्की बिना किसी कारण के अपने माता पिता के चली गयी थी। वह दो तीन बार उसको लेने गया था। रिन्की की बहन की मृत्यु हो चुकी है एवं रिन्की अपने जीजा विवेक के साथ रहने लगी है। वह आवेदकगण को रखने के लिये तैयार है परंतु आवेदिका उसके साथ नहीं रहना चाहती है। अपने जीजा के साथ रहना चाहती है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दिसम्बर 2014 में रिन्की को घर से निकाल दिया था, तब से वह पाठकपुरा में रह रही है। इसके तुरंत पश्चात ही साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने नहीं निकाला था। रिन्की दिसम्बर 2014 से पाठकपुरा में रह रही है।
9. अनावेदक साक्षी वासुदेव अना.सा. 02 ने भी अनावेदक देवेन्द्र अना. सा. 1 के कथन के समर्थन में साक्ष्य दी है एवं व्यक्त किया है कि रिन्की बिना बताये मायके चली गयी थी। देवेन्द्र रिन्की को लेने गया था तो भी रिन्की नहीं आयी थी।
10. तर्क के दौरान आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आवेदकगण अनावेदक द्वारा घर से निकाल दिये जाने के कारण अनावेदक से पृथक निवास कर रहे हैं, जबकि तर्क के दौरान अनावेदक अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आवेदिका रिन्की स्वेच्छया से अपने मायके में निवासरत है।
11. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका रिन्की शर्मा अ.सा. 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि शादी के बाद से ही अनावेदक एवं उसके परिवारजन आवेदिका से उसकी छोटी बहन रुचि की शादी अनावेदक के बड़े भाई मुकेश के साथ करने के लिये कहते थे एवं पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकल दहेज में लाने के लिये कहते थे एवं नालाने पर उसे मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। इसी क्रम में अनावेदक एवं उसके परिवारजन ने दिनांक 20.12.14 को आवेदकगण को पहने हुये कपड़ों में घर से निकाल दिया था, तभी से आवेदिका रिन्की अपने पुत्र के साथ ग्राम पाठकपुरा में निवासरत है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अनावेदक ने उसे साथ रखने के लिये वरिष्ठ न्यायालय में कार्यवाही की थी। आवेदिका द्वारा उक्त संबंध में न्यायालय की आदेश पत्रिका प्र0पी0 1 एवं प्र0 पी0 2 भी प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है। प्र पी 2 के अवलोकन से यह दर्शित है कि अनावेदक द्वारा दाम्पत्य अधिकारों के पुर्नस्थापन की जो याचिका वरिष्ठ न्यायालय में लगायी गयी थी वह अनावेदक की अनुपस्थिति में निरस्त हो गयी थी। ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर की अनावेदक द्वारा आवेदिका रिन्की को साथ रखने के लिये याचिका लगायी गयी थी अनावेदक को

कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है एवं मात्र उक्त आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदिका रिन्की बिना पर्याप्त कारण के अनावेदक से पृथक निवासरत है।

12. आवेदिका साक्षी बिट्टी बाई अ.सा. 2 एवं अरविन्द अ.सा. 3 ने भी अनावेदक द्वारा आवेदिका रिन्की से पचास हजार रुपये नगद एवं मोटरसाइकल की मांग करना तथा इसी क्रम में रिन्की एवं उसके पुत्र को घर से निकाल देना बताया है। बिट्टी बाई अ.सा. 2 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि रिन्की को अनावेदक ने एक साल पहले घर से निकाला था जिसका महीना व दिनांक वह नहीं बता सकती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि बिट्टी बाई अ.सा. 2 यह बताने में असमर्थ रही है कि अनावेदक ने आवेदिका को किस दिनांक एवं महीने में घर से निकाला था, परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जिस समय आवेदिका को घर से निकाला गया था उस समय सर्दियों थी एवं उस वर्ष सर्दियों में पानी बरस रहा था। इस प्रकार बिट्टी बाई अ.सा. 2 के कथनों से यह तो स्पष्ट है कि आवेदकगण को अनावेदक ने सर्दी के मौसम में घर से निकाला था।
13. आवेदिका साक्षी अरविन्द अ.सा. 3 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि देवेन्द्र कई बार कई लोगों को साथ लेकर उसकी लड़की को लेने आया था और यह भी स्वीकार किया है कि उसने और उसकी लड़की ने मना कर दिया था। इस प्रकार साक्षी अरविन्द अ.सा. 3 के कथनों से यह प्रकट होता है कि अनावेदक, आवेदिका रिन्की को लेने गया था एवं रिन्की से जाने से मना कर दिया था। परंतु यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि रिन्की अ.सा. 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदक एवं उसके परिवारजन उससे दहेज की मांग करते थे तथा मांग की पूर्ति ना होने पर उसकी मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते थे एवं यदि प्रताड़ना के भय से आवेदिका ने अनावेदक के साथ जाने से मना भी कर दिया गया हो तो भी इससे प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।
14. अनावेदक देवेन्द्र अना.सा. 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आवेदिका बिना किसी कारण के अपने माता पिता के यहाँ निवास कर रही है एवं आवेदिका अपने जीजा विवेक के साथ रहने लगी थी तथा आवेदिका अपने जीजा विवेक के साथ ही रहना चाहती है। साक्षी वासुदेव अना.सा. 2 ने भी यह व्यक्त किया है कि रिन्की वर्तमान में अपने जीजा के साथ रह रही है। इस प्रकार अनावेदक द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आवेदिका रिन्की अपने जीजा विवेक के साथ जारता की दशा में रह रही है। परंतु इस तथ्य का उल्लेख अनावेदक द्वारा अपने जबाव आवेदन में नहीं किया गया है। अनावेदक द्वारा ऐसे किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है जिसने आवेदिका रिन्की को उसके जीजा विवेक के साथ रहते हुये देखा हो। यहाँ तक साक्षी वासुदेव अना.सा. 2 के कथन का प्रश्न है तो यद्यपि वासुदेव अना.सा. 2 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि रिन्की वर्तमान में अपने जीजा के साथ रह रही है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि नहीं बता सकता कि रिन्की के जीजा कहाँ के रहने वाले हैं उसे तो जो देवेन्द्र ने बताया था वह वही बात बता रहा है। इस प्रकार वासुदेव अना.सा. 2 के कथनों से यही प्रकट होता है कि वासुदेव अना.सा. 2 को उक्त संबंध में स्वयं कोई जानकारी नहीं है। वह मात्र अनावेदक के बताये अनुसार कथन कर रहा है।
15. अनावेदक देवेन्द्र अना.सा. 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आवेदिका रिन्की अपने जीजा विवेक के साथ रह रही है, परंतु उक्त संबंध में कोई साक्ष्य अनावेदक द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। अनावेदक द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को परीक्षित नहीं कराया गया है जिसने रिन्की को विवेक के साथ रहते हुये देखा हो। ऐसी स्थिति में अनावेदक का यह कथन कि आवेदिका विवेक के साथ रह रही है, प्रमाणित

नहीं है।

16. आवेदिका रिन्की अ.सा. 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि अनावेदक एवं उसके परिवारजन उससे दहेज की मांग करते थे एवं इसी क्रम में अनावेदक ने आवेदिका एवं उसके पुत्र को दिनांक 20.12.14 को मारपीट कर घर से निकाल दिया था, तभी से आवेदिका अपने पुत्र के साथ अपने मायके में निवासरत है। आवेदिका साक्षी बिट्टी बाई अ.सा. 2 एवं अरविन्द्र अ.सा. 3 द्वारा भी आवेदिका के कथनों का पूर्णतः समर्थन किया है एवं अनावेदक द्वारा आवेदकगण को मारपीट कर घर से निकाल देने बाबत प्रकटीकरण किया गया है। उक्त सभी साक्षियों का अनावेदक की ओर से अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन तात्विक विसंगतियों से परे रहा है। आवेदिका रिन्की अ.सा. 1 का कथन तात्विक बिन्दुओं पर उसके मूल आवेदन से भी पुष्ट रहा है। अनावेदक की ओर से आवेदकगण के कथनों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में आवेदिका की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।
17. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से यह प्रमाणित है कि अनावेदक द्वारा आवेदिका रिन्की से दहेज की मांग की गयी थी एवं इसी क्रम में अनावेदक द्वारा आवेदकगण को घर से निकाल दिया गया था। तभी से आवेदकगण अनावेदक से पृथक निवासरत है। ऐसी स्थिति में यही माना जायेगा कि आवेदकगण पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक निवासरत है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-02 //

18. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका रिन्की अ.सा.1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि वह कोई काम नहीं करती है तथा अपने पिता के घर पर रहती है। अनावेदक ने उसे व उसके बच्चे को दिनांक 20.12.2014 को पहने हुए कपड़ों में घर से निकाल दिया था, उसके बाद से अनावेदक व उसके परिवार वालों ने उसकी कोई खबर नहीं ली है। प्रतिपरीक्षण के पद क्र.6 में उक्त साक्षी ने अनावेदक अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह बच्चों का ट्यूशन करके पैसे कमाती है। आवेदिका साक्षी बिट्टी बाई अ.सा.2 एवं अरविंद अ.सा.3 ने भी उक्त बिंदु पर आवेदिका के कथनों का समर्थन किया है एवं व्यक्त किया है कि आवेदिका कोई काम नहीं करती है एवं घर पर ही रहती है।
19. अनावेदक देवेंद्र अना.सा.1 द्वारा उक्त बिंदु पर आवेदिका के कथनों का खण्डन किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि रिन्की पहले न्यू हरीराम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती थी जिससे उसे चार हजार रुपये मिलते थे अब वह ट्यूशन पढ़ाती है और तीन-चार हजार रुपया महीना कमाती है। अनावेदक द्वारा उक्त संबंध में हरेराम मॉडल स्कूल का अनुभव प्रमाण पत्र प्रदर्श डी1 भी प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक साक्षी वासुदेव अना.सा.2 ने भी अपने कथन में बताया है कि रिन्की वर्तमान में स्कूल में पढ़ाती है एवं दो-चार हजार रुपये प्रतिमाह कमा लेती है।
20. इस प्रकार अनावेदक देवेंद्र अना.सा.1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है आवेदिका रिन्की ट्यूशन पढ़ाकर तीन-चार हजार रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करती है, परंतु उक्त संबंध में कोई साक्ष्य अनावेदक द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। अनावेदक द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह किस क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। जहां तक अनुभव प्रमाण पत्र प्रदर्श डी1 का प्रश्न है तो प्रदर्श डी1 के प्रमाण पत्र में यह वर्णित है कि कुमारी रिन्की पाराशर ने सत्र 2013 से सत्र 2015 (2) वर्ष में अध्यापन कार्य में अच्छा सहयोग दिया एवं पूर्ण रूप से अच्छे व्यवहार के साथ स्कूल

का सहयोग किया। इस प्रकार प्रदर्श डी1 के प्रमाण पत्र में केवल सहयोग देने का उल्लेख है। यह उल्लेख नहीं है कि आवेदिका शिक्षिका के पद पर कार्यरत है एवं वेतन प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श डी1 का अनुभव प्रमाण पत्र वर्ष 2015 तक का है उसके पश्चात् के वर्ष का कोई प्रमाण पत्र अनावेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनावेदक ने अपने जवाब आवेदन के पद क्र. 5 में यह वर्णित किया है कि आवेदिका जे.पी.कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है तथा तीन हजार रुपये प्रतिमाह कमाती है जबकि प्रदर्श डी1 का प्रमाण पत्र न्यू हरेराम मॉडल स्कूल का है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर अनावेदक देवेंद्र अना.सा.1 के कथन उसके जवाब आवेदन से पुष्ट नहीं है। एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता है कि आवेदिका शिक्षिका के रूप में कार्य करके आय अर्जित करती है। यद्यपि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि आवेदिका ट्यूशन पढ़ाकर अथवा शिक्षिका का कार्य करके आय अर्जित करती है, परंतु यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि आवेदिका बच्चों को पढ़ाकर कुछ आय अर्जित करती है तो भी इससे अनावेदक का आवेदकगण का भरण-पोषण करने का उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाता है।

21. आवेदिका रिंकी अ.सा.1 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह कोई कार्य नहीं करती है तथा घर पर रहती है। आवेदिका के उक्त कथन का समर्थन आवेदिका साक्षी बिट्टी बाई अ.सा.2 एवं अरविंद अ.सा.3 द्वारा भी किया गया है। अनावेदक द्वारा उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त बिंदु पर आयी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि आवेदकगण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-03 //

22. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका रिंकी आ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 7 में व्यक्त किया है कि जिस समय उसकी शादी हुयी थी उस समय देवेंद्र केडवरी फैक्ट्री में सुपरवाइजर था एवं 12000 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता था। पद क्र. 11 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि देवेंद्र केडवरी में नौकरी नहीं कर रहा है उसे निकालने के बाद ग्वालियर में सिक्थोरिटी गार्ड का काम कर रहा है एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसने देवेंद्र को नौकरी करते हुए नहीं देखा था। देवेंद्र ने ही उसे बताया था।
23. आवेदिका साक्षी बिट्टी बाई अ.सा.2 ने भी व्यक्त किया है कि देवेंद्र हस्ट-पुष्ट है वह केडवरी फैक्ट्री में काम करता है और उसे बारह हजार रुपये महीने पगार मिलती है। साक्षी अरविंद अ.सा.3 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 5 में व्यक्त किया है कि देवेंद्र वर्तमान में क्या काम करता है और कितना कमाता है उसे जानकारी नहीं है।
24. अनावेदक देवेंद्र अना.सा.1 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह मजदूरी करता है। प्रतिपरीक्षण के पद क्र.5 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह फैक्ट्री में मजदूरी करता है। वह केडवरी फैक्ट्री में नौकरी करता है जिससे उसे तीन-चार हजार रुपये प्रतिमाह की आय होती है।
25. इस प्रकार आवेदिका रिंकी अ.सा.1 ने अपने कथन में यह बताया है कि देवेंद्र ग्वालियर में सिक्थोरिटी गार्ड का काम करता है जबकि बिट्टी बाई अ.सा.2 का

कहना है कि देवेंद्र केडवरी फैक्ट्री में काम करता है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर रिंकी अ.सा.1 एवं बिट्टी बाई अ.सा.2 के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। रिंकी अ.सा.1 ने यह व्यक्त किया है कि देवेंद्र ग्वालियर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, परंतु उक्त संबंध में कोई प्रमाण कोई दस्तावेज आवेदिका द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार यद्यपि आवेदिका रिंकी द्वारा अनावेदक की आय के संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि द0प्र0सं0 की धारा 125 में जो “पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति” वाक्य का प्रयोग किया गया है उसका अभिप्राय केवल प्रकट सम्पत्ति या यथासाध्य, सम्पदा, राजस्व या निश्चित रोजगार ही नहीं हैं उसमें कमाने की क्षमता का भी समावेश है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ एवं सक्षम शरीर वाला है तो यह माना जायेगा कि उसके पास अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिये पर्याप्त साधन हैं।

26. भरण पोषण के आदेश हेतु यह कर्तई आवश्यक नहीं है कि पति सम्पत्ति धारण करता हो जब तक पति शारीरिक रूप से स्वस्थ और कार्य करने तथा कमाने में सक्षम हो पत्नी को सहारा देना उसका कर्तव्य है चाहे वह दिवालिया, विधुप्त, अवयस्क, साधू या सन्यासी ही क्यों न हो। यह एक व्यक्तिगत दायित्व है जो विवाह के क्षण से ही पति के साथ युक्त हो जाता है। उक्त संबंध में आवेदक गण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत ओंकार कौंडले वि. श्रीमती कमालती वाई 2017 (3) सी.जी.एच.सी. 1430 भी अवलोकनीय है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि दं.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण पत्नी का पूर्ण अधिकार है तथा वह इस अभिवाक पर विफल नहीं किया जा सकता है कि पति के पास कोई काम नहीं है या भुगतान हेतु साधन नहीं हैं।
27. इस प्रकार यद्यपि प्रकरण में आवेदिका रिंकी अ.सा. 1 द्वारा अनावेदक की आय के संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनावेदक देवेंद्र अना.सा.1 द्वारा स्वयं अपने कथन में यह व्यक्त किया गया है कि वह केडवरी फैक्ट्री में मजदूरी करके तीन-चार हजार रुपये प्रतिमाह कमाता है। अनावेदक देवेंद्र के उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि अनावेदक मजदूरी करने में सक्षम है एवं यदि अनावेदक महीने में 25 दिन भी मजदूरी करता है तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से छः हजार दो सौ पचास रुपये प्रतिमाह कमाने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में यही माना जाएगा कि अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है।

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक-04//

28. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका रिंकी अ.सा.1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदक ने उसे व उसके बच्चे को दिनांक 20.12.2014 को पहने हुए कपड़ों में घर से निकाल दिया था तभी से वह अपने माता-पिता के यहां ग्राम पाठकपुरा में रह रही है उसके बाद अनावेदक एवं अनावेदक के परिवारजन ने उनकी कोई खबर नहीं ली है, उसे अनावेदक से अपने नाबालिक बच्चे के लिए तीन हजार रुपये तथा स्वयं के लिए तीस हजार रुपये भरण पोषण दिलाया जावे। आवेदिका साक्षी बिट्टी बाई अ.सा. 2 एवं अरविंद अ.सा.3 ने भी आवेदिका रिंकी अ.सा.1 के कथन का समर्थन किया है एवं अनावेदक से आवेदकगण को छः हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण दिलाये जाने बाबत कथन किया है।

29. इस प्रकार आवेदिका रिंकी अ.सा. 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है अनावेदक द्वारा उसका एवं उसके बच्चे का भरण पोषण नहीं किया जा रहा है। अनावेदक की ओर से उक्त तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया है ना ही अनावेदक का ऐसा कहना है कि वह आवेदकगण का भरण पोषण करता है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि अनावेदक द्वारा आवेदकगण का भरण पोषण नहीं किया जा रहा है।
30. आवेदिका रिंकी अनावेदक की विवाहिता पत्नी है एवं आवेदक क.2 प्रशांत अनावेदक का पुत्र है। पति एवं पिता होने के नाते अनावेदक का यह धार्मिक एवं पुनीत कर्तव्य है कि वह आवेदकगण की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखे एवं उनका भरण पोषण करे अनावेदक द्वारा अपने इस कर्तव्य के प्रति उपेक्षा बरती जा रही है अतएव आवेदकगण को अनावेदक से भरण पोषण की राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। वर्तमान समय की मंहगाई आवेदकगण के दैनिक खर्चे, आवेदक क.2 प्रशांत की पढ़ाई-लिखाई के खर्चे एवं अनावेदक की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका क. 1 रिंकी उर्फ शैली को अनावेदक से एक हजार रुपये प्रतिमाह एवं आवेदक क.2 प्रशांत शर्मा को अनावेदक से पंद्रह सौ रुपये प्रतिमाह कुल पच्चीस सौ रुपये प्रतिमाह की राशि भरण पोषण के रूप में दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।
31. फलतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश दिनांक से आवेदिका क.1 रिंकी उर्फ शैली को एक हजार रुपये एवं आवेदक क.2 प्रशांत शर्मा को पंद्रह सौ रुपये कुल पच्चीस सौ रुपये की राशि प्रतिमाह भरण पोषण के रूप में को अदा करें।

स्थान-गोहद

दिनांक-31.01.2018

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में पारित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)